

DIR 12



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 26—दिसम्बर 2, 2005 (अग्रहायण 5, 1927)

No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 26—DECEMBER 2, 2005 (AGRAHAYANA 5, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक

आवास वित्त कंपनी (रा. आ. बैंक) निर्देश, 2001

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 2005

सं. एनएचबी. एचएफसी. डीआईआर. 12/सीएमडी/2005--राष्ट्रीय आवास बैंक जनहित में एवं इस बात से संतुष्ट होकर कि राष्ट्रीय आवास बैंक देश में आवास वित्त प्रणाली विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ व इसके लाभार्थ यह आवश्यक समझता है कि ऐसा करना अपेक्षित है, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987/53) की धाराओं 30ए तथा 31 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ. बैंक) निर्देश, 2001 में निम्नानुसार और संशोधन तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं, अर्थात् :

1. अनुच्छेद 25 में, उप-अनुच्छेद के बाद निम्नलिखित परंतुक (5) के रूप में शामिल किया जाएगा, अर्थात्,

आगामी वार्षिक रिपोर्ट में तुलन-पत्र के 'लेखाओं पर टिप्पणियां' में "प्रत्येक आवास वित्त कंपनी को पृथक दर्शाया जाएगा,

(क) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आवास वित्त कंपनी पर अधिरोपित उद्ग्रहीत दंड, यदि कोई हो, का विवरण और

(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनियामक अनुपालन के संदर्भ में आवास वित्त कंपनी पर लिखित में की गई प्रतिकूल टिप्पणी, यदि हो, जिसके लिए आवास वित्त कंपनी को कोई विशेष पत्र भेजा गया हो कि उसे सार्वजनिक किया जाए।"

(ख) भाग 1 के अन्तर्गत अनुसूची I (वार्षिक रिपोर्ट) में, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा--

भाग-I (स)

यथा 31 मार्च, ---को धारित सार्वजनिक जमाओं के क्षेत्र-वार आंकड़े

(लाख रुपए)

क्षेत्र/@	खातों की सं.	राशि
उत्तरी		
पूर्वी		

केन्द्रीय		
पश्चिमी		
दक्षिणी		
कुल		

@क्षेत्र विवरण

उत्तरी क्षेत्र	चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब तथा राजस्थान
केन्द्रीय क्षेत्र	छत्तीस गढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल
पश्चिमी क्षेत्र	दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, गोवा, गुजरात तथा महाराष्ट्र
पूर्वी क्षेत्र	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मणीपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल
दक्षिणीक्षेत्र	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पांडिचेरी तथा तमिलनाडु

ग) भाग-5 के बाद, अनुसूची I में भाग 6 के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा-

भाग-6

आवास वित्त कंपनी का वित्तीय निष्पादन

(लाख रुपए)

मद	यथा 31 मार्च, ---- को
1	2
क. आय (i+ii)	
(i) निधि आधारित	
(ii) शुल्क आधारित	
ख. व्यय (i+ii+iii)	
(i) वित्तीय	
(ii) कर्मचारी	
(iii) अन्य प्रशासनिक	
ग. कर प्रावधान	
घ. निवल लाभ	

च. कुल आस्तियां	
छ. वित्तीय अनुपात (कुल आस्तियों के प्रतिशत में)	
(i) आय	
(ii) निधि आधारित आय	
(iii) शुल्क आधारित आय	
(iv) व्यय	
(v) वित्तीय व्यय	
(vi) परिचालन व्यय	
(vii) अन्य प्रावधान	
(viii) कर प्रावधान	
(ix) निवल लाभ	

घ. कंपनी के वितरण के नीचे अनुसूची I में, 20 के बाद निम्नलिखित 21 व 22 के रूप में जोड़ा जाएगा-

21. मुख्य कार्यपालक का नाम	
21(क) टेलीफोन नम्बर व एसटीडी कोड	
21(ख) मोबाइल नम्बर	
21(ग) फैक्स नम्बर	
21(घ) ई-मेल	

22. अनुपालन/नोडल अधिकारी का नाम	
22(क) टेलीफोन नम्बर व एसटीडी कोड	
22(ख) मोबाइल नम्बर	
22(ग) फैक्स नम्बर	
22(घ) ई-मेल	

पी.के. गुप्ता

(पी.के. गुप्ता)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

National Housing Bank
(Wholly Owned by the Reserve Bank of India)
New Delhi

HOUSING FINANCE COMPANIES (NHB) DIRECTIONS, 2001

Direction No. NHB.HFC.DIR.12/CMD/2005 dated November 16, 2005

The National Housing Bank having considered it necessary in the public interest and being satisfied that, for the purpose of enabling the National Housing Bank to regulate the housing finance system in the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby in exercise of the powers conferred by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 shall **with immediate effect**, be further amended in the following manner, namely:-

a) In Paragraph 25, after sub-paragraph-4 the following proviso shall be inserted as (5), viz.

“Every housing finance company shall, separately disclose, in the ‘Notes on Accounts’ to the Balance Sheet in its next Annual Report,

- (a) the details of the levy of penalty, if any, imposed on the housing finance company by the National Housing Bank and
- (b) adverse comments, if any, on the housing finance company made in writing by the National Housing Bank on regulatory compliances, with a specific communication to the housing finance company to disclose the same to the public.”

b) In Schedule I (Annual Return) under Part-1, the following shall be inserted as ‘C’

Part-1 (C)
Region-wise break up of Public Deposits held as on March 31,...
(Rs. In Lakhs)

Region [@]	No. of accounts	Amount
Northern		
Eastern		
Central		
Western		
Southern		
Total		

[@] Region details

Northern Region:	Chandigarh, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab & Rajasthan
Central Region:	Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh & Uttranchal
Western Region:	Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Goa, Gujarat & Maharashtra
Eastern Region:	Andaman & Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Jharkhand, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Sikkim, Tripura & West Bengal
Southern Region:	Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Lakshadweep, Pondicherry & Tamil Nadu

c) In Schedule I, after Part-5 the following shall be inserted as Part-6

Part 6
FINANCIAL PERFORMANCE OF HFC

Item 1	(Rs. In Lakhs) as at March 31,..... 2
A. Income (I + ii)	
(i) Fund based	
(ii) Fee based	
B. Expenditure (i+ii+iii)	
(i) Financial	
(ii) Employees	
(iii) Other administrative	
C. Tax provisions	
D. Net profit	
E. Total Assets	
F. Financial Ratios (as percent of total assets)	
(i) Income	
(ii) Fund based income	
(iii) Fee based income	
(iv) Expenditure	
(v) Financial Expenditure	
(vi) Operating Expenditure	
(vii) Other provisions	
(viii) Tax provisions	
(ix) Net profit	

d) In Schedule I under details of the company, after 20 the following shall be inserted as 21 & 22

21. Name of the Chief Executive	
21 (a) Phone Number with STD code	
21 (b) Mobile Number	
21 (c) Fax Number	
21 (d) Email	

22. Name of the compliance/Nodal Officer	
22 (a) Phone Number with STD code	
23 (b) Mobile Number	
23. (c) Fax Number	
23. (d) Email	

P. K. GUPTA
Chairman and Managing Director